न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व वाद नम्बर :– 1/2022

जीसीएमएस नम्बर :– 2022/42

अनवान

1. शम्भुसिंह आत्मज नारायणसिंह चुण्डावत निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर
2. भैरूसिंह आत्मज शम्भुसिंह चुण्डावत निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित

1. महेन्द्रसिंह चुण्डावत – प्रार्थी अधिवक्ता
2. विपक्षी संख्या 1 पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 15/1/2026

1. प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम नान्दशा जागीर, पटवार हल्का नान्दशा जागीर तहसील रायपुर के हल्के प्रार्थीगण की खरीदशुदा एवं कब्जे काश्त की साबिक आराजी संख्या 362/2 रकबा 25 बीघा भूमि स्थित थी। प्रमाण में साबिक जमाबन्दी संवत 2052 से 2055 तक मय साबिक नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ पेश है।

2. साबिक आराजी संख्या 362/2 के नवीन आराजी संख्या 3361/1102 रकबा 5.38 है0 एवं आराजी संख्या 3362/1102 रकबा 0.02 है0 गै.मु. चाह कुल किता 2 कुल रकबा 5.40 है0 बने है। प्रार्थीगण के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण मे नकल जमाबन्दी संवत 2072 से 2072 तक हाल नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति अवलोकनार्थ प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है। ग्राम नान्दशा का भु प्रबन्ध हुआ नया बन्दोबस्त खाता नक्शा साबिक अनुसार हाल जमाबन्दी व नक्शा रिपीशन करने का अधिकार होता है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी का रकवा तो साविक जमाबन्दी अनुसार सही किया किन्तु उक्त साबिक नम्बर 362/2 के साविक नक्शा ट्रेस उस अनुसार नही कर उसे हाल नम्बर 3361/1102, 3362/1102 बनाये है, जिन्हे हाल नक्शे में साविक नक्शे अनुसार फीट नही किए जाने की वजह से प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ा है।

3. अतः सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर साबिक आराजी संख्या 362/2 के साविक नक्शा ट्रेस के अनुसार साबिक आराजी संख्या 362/2 के साविक नक्शा ट्रेस के अनुरार हाल नम्बर 3361/1102, 3362/1102 जो पूर्व मे उत्तर दिशा की तरफ आराजी के पूर्वी कोने व पश्चिमी कोने से उतर की तरफ त्रिभुजाकार बड़ा

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

नक्शा ट्रेस छोटा कर दिया, जिसे दुरूस्त करा साबिक अनुसार संशोधन कराये जाने एवं राजस्व रेकार्ड में नक्शा साबिक के अनुसार हाल नक्शे में इन्द्राज कराये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावें।

4. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया जिसकी पालना में विपक्षी तहसीलदार रायपुर द्वारा जांच रिर्पोट प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

5. तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत जवाब व मौका रिपोट में अंकन किया कि :–

    1. ग्राम नान्दशा में आराजी संख्या 3361/1102 रकबा 5.38 है0, आराजी संख्या 3362/1102 रकबा 0.02 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 5.40 है0 प्रार्थीगण शम्भुसिंह पिता नारायणसिंह 1/2 भैरूसिंह पिता शम्भुसिंह 1/2 राजपूत निवासी नान्दशा के नाम दर्ज रेकार्ड है।
    2. प्रार्थना पत्र अनुसार प्रार्थीगण की साबिक आराजी संख्या 362/2 रकबा 25 बीघा के साबिक नक्शा के मुकाबले सेटलमेन्ट पश्चात् नवीन नम्बर 3361/1102 व आराजी संख्या 3362/1102 रकबा 5.40 है0 के वर्तमान नक्शे में संशोधन चाहता है।
    3. वर्तमान नक्शा में आराजी संख्या 3361/1102 व आराजी संख्या 3362/1102 का रकबा बरारी करने करने पर कुल रकबा 5.40 है0 के मुकाबले 5.02 है0 के करीब रकबा बनता है अर्थात नवीन नक्शे में रकबा 0.38 है0 प्रार्थीगण के कम करके नक्शा छोटा कर दिया है। मौके पर कब्जानुसार प्रार्थीगण का आराजी संख्या 1091 व आराजी संख्या 3361/1102 के मध्य आराजी संख्या 1105 रकबा 0.38 है0 पर कब्जा है जिसे प्रार्थीगण के नाम नक्शे में दुरूस्त किया जाना उचित है। आराजी संख्या 1105 रकबा 3.62 है0 का रकबा बरारी करने पर करीब 4.11 है0 रकबा आता है जो बेशी है।
    4. मौके पर प्रार्थीगण के कब्जानुसार आराजी संख्या 3361/1102 व आराजी संख्या 1091 की मेड़ मिली हुई है। दोनो के मध्य आराजी संख्या 1105 का हिस्सा करीब 0.38 है0 वह प्रार्थीगण के कब्जे में है जिसे प्रार्थी साबिक नक्शानुसार शुद्व कराना चाहता है।

6. न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध नवीन राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरता से विचार किया तो पाया कि प्रार्थीगण द्वारा साविक नक्शा, मिलान क्षेत्रफल, साबिक जमाबन्दी, नवीन जमाबन्दी, नवीन नक्शा ट्रेस पत्रावली में प्रस्तुत किए जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात के खातेदार काश्तकार है। तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में आराजी संख्या 3361/1102 व आराजी संख्या 3362/1102 का रकबा बरारी करने करने पर कुल रकबा 5.40 है0 के मुकावले 5.02 है0 के करीव रकबा बनता है अर्थात नवीन नक्शे में रकबा 0.38 है0 प्रार्थीगण के कम करके नक्शा छोटा कर दिया है। मौके पर कब्जानुसार प्रार्थीगण का आराजी संख्या 1091 व आराजी संख्या 3361/1102 के मध्य आराजी संख्या 1105 रकबा 0.38 है0 पर कब्जा है। राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण के नाम 5.40 है0 भूमि है एवं मौके पर भी

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

कब्जा 5.40 है0 भूमि पर ही है तथा बिलानाम आराजी संख्या 1105 रकबा 3.62 है0 भूमि का नक्शे में रकबा बरारी पर 4.11 है0 भूमि आती है जिससे यह स्पष्ट होता है कि नक्शे में लिपिकीय त्रुटि हुई है। प्रार्थीगण द्वारा साबिक नक्शा, मिलान क्षेत्रफल, साबिक जमाबन्दी साबिक नक्शे की प्रति साथ पत्रावली में प्रस्तुत किये है जिससे स्पष्ट है प्रार्थीगण के साबिक नक्शे व हाल नक्शे में लिपिकीय त्रुटी हुई है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में लिपिकीय त्रुटी के प्रकरणो का निर्णय किया जाता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र [redacted]स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::– आदेश –::

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया है कि ग्राम नान्दशा जागीर पटवार हल्का नान्दशा जागीर के हाल नक्शे मे अकिंत खसरा नम्बर 1105 रकबा 3.62 है भूमि रखी जावे शेष 0.38 है0 भूमि नक्शे में प्रार्थीगण के कब्जे में है को प्रार्थीगण की आराजी संख्या 3361/1102 के नक्शे में तरमीम की जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति के साथ लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 15/1/2022 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व वाद नम्बर :– 1/2022

जीसीएमएस नम्बर :– 2022/42

अनवान

1. शम्भुसिंह आत्मज नारायणसिंह चुण्डावत निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर
2. भैरूसिंह आत्मज शम्भुसिंह चुण्डावत निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

दिनांक 15/1/2026

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

प्रेषित :–तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा इन्द्राज दुरस्ती बाबत्

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया है कि ग्राम नान्दशा जागीर पटवार हल्का नान्दशा जागीर के हाल नक्शे मे अकिंत खसरा नम्बर 1105 रकबा 3.62 है भूमि रखी जावे शेष 0.38 है0 भूमि नक्शे में प्रार्थीगण के कब्जे में है को प्रार्थीगण की आराजीं संख्या 3361/1102 के नक्शे में तरमीम की जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति के साथ लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

हुक्मनामा आज दिनांक 15/1/2026 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा